भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2572

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विरासत स्थल के रूप में गंगा सागर मेला

†2572. श्रीमती माला राय:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विरासत स्थल बनने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार की 'गंगा सागर मेला' को विरासत स्थल घोषित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): जैसा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूचित किया गया है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, (एएमएएसआर अधिनियम, 1958) की धारा 4 में यह प्रावधान है कि सरकार पुरातात्विक, ऐतिहासिक या स्थापत्य महत्व के आधार पर किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, गंगा सागर मेले को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 4(3) के तहत मान्य नहीं है।

*****